

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के निर्देश के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थी जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है वह दिनांक 02.08.2018 से 05.08.2018 तक डूडा कार्यालय मुरादाबाद में आवेदन कर सकते हैं। जिसका प्रारूप WWW.MORADABAD.NIC.IN पर उपलब्ध है।
पात्रता शर्तें निम्नवत हैं:-

1. ई०डब्ल्यू०एस० श्रेणी के लाभार्थी की वार्षिक आय की सीमा रू० 3.00 लाख तक है।


2. (i) लाभार्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत वर्ष में पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार की परिभाषा-पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ शामिल होंगे।

(ii) भारत सरकार द्वारा परिवार की परिभाषा में किये गये संशोधन के अनुसार ऐसे व्यस्क पुरुष/स्त्री (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना) जो उपार्जक/रोजी कमाता हो, को भी पृथक परिवार के रूप में माना जाएगा। उक्त व्यस्क पुरुष/स्त्री जिनके पास स्वयं का कोई पक्का मकान न हो, भी योजना में लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।

(ii) विवाहित दम्पति के प्रकरण में, पति-पत्नि दोनों में से किसी एक के नाम या दोनों एक साथ संयुक्त स्वामित्व में एक पक्का आवास हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि इस योजना की गाइड लाइन्स में निर्धारित आय के मानकों को पूर्ण करता हो।

3. लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किये जाने के लिये पात्र होगा।


4. नये आवास निर्माण हेतु पात्र लाभार्थी का वर्तमान मकान कच्चा/अर्द्धकच्चा आदि (नया निर्मित करने योग्य) होना चाहिए।


परियोजना अधिकारी
खिल नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)
मुरादाबाद

5. यदि लाभार्थी की भूमि-21-30 वर्ग मी० के मध्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एनबीसी० मानक के अनुसार लाभार्थी के पास उपलब्ध भूमि पर 21-30 वर्ग मी० (कारपेट ऐरिया) के मध्य उसका दो मंजिला (G+1) आवास निर्मित किया जा सकता है।
6. जिन लाभार्थियों के पास पक्का अथवा अर्द्ध पक्का आवास है, जिसका कारपेट ऐरिया 21 वर्ग मी० तक है तथा यदि उसमें कमरा, रसोई, शौचालय, बाथरूम और किसी एक का कम्बिनेशन आदि में से किसी एक सुविधा नहीं है तो उसे भी आवास विस्तार हेतु निम्न शर्तों के साथ सम्मिलित किया जायेगा।
(अ) आवास विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान आवास में न्यूनतम कारपेट ऐरिया 9.00 वर्ग मी० जोड़ा जायेगा, जिसमें एनबीसी० मानक के अनुसार एक लिविंग रूम या कमरे के साथ रसोईघर और/या बाथरूम और/या शौचालय बनाया जायेगा।
7. पात्र लाभार्थी के पास स्वामित्वावधीन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेज होने आवश्यक है।
8. यदि किसी लाभार्थी की गटर सिल्ली की छत है या अर्द्ध पक्का आवास है, जो पक्के आवास की श्रेणी में नहीं आता, वह बी०एल०सी० (एन) हेतु पात्र लाभार्थी है।
9. यदि लाभार्थी के पिता/ससुर/सार के नाम भूमि है, तो उनसे अनापत्ति का शपथ पत्र प्राप्त कर नियमानुसार आवास बनाया जा सकता है।
10. यदि लाभार्थी के पिता/माता का पक्का मकान, परन्तु लाभार्थी आगे बनवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में यदि पक्का आवास के बाद भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में पिता/माता से अनापत्ति का शपथ पत्र प्राप्त कर आवास बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लाभार्थी भूमि उपलब्ध न होने पर पक्के आवास के ऊपर बनवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में पूर्व निर्मित आवास के **Structure Stability** के दृष्टिगत उपयुक्तता की स्थिति में पिता/माता की अनापत्ति शपथ पत्र के पश्चात् ही बनाया जा सकता है।


 हरिबाजना अग्रिकारी
 स्थित्य नगरीय विकास अधिकरण (डूडा)
 मुरादाबाद

11. ऐसी लाभार्थी जो सम्बन्धित आबादी क्षेत्र में पूर्व से निवासरत है, किन्तु उनके पास भू-स्वामित्व सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे है, उस स्थिति में लाभार्थी से सम्पत्ति कर या हाऊस टैक्स की रसीद या शपथ पत्र प्राप्त कर उसे बी0एल0सी0 घटक लाभ प्रदान किया जा सकता है।
12. यदि लाभार्थी का पूर्व में एक कमरा पक्का बना हुआ है, जो कि एनबीसी के अनुसार 9 वर्ग मी0 से कम है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी का बी0एल0सी0(एन0) में आवास निर्मित किया जा सकता है।
13. यदि लाभार्थी द्वारा आवास की नींव भर ली गयी है अथवा प्लिन्थ लेवल पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु आगे बनवाने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में
14. लाभार्थी को पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने पर एनबीसी0 मानक के अनुरूप बी0एल0सी0 (सी) के अन्तर्गत आवास निर्मित किया जा सकता है।
15. अतः लाभार्थी अपने आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नम्बर, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, आय/शपथ पत्र के साथ कार्यालय में जमा कर सकता है। जिन लोगो ने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।


परिचालना अधिकारी
खिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)
मुरादाबाद